# राजस्थान सरकार
# निदेशालय महिला अधिकारिता

जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
Email_ gendercell.we@rajasthan.gov.in


क्रमांक :– एफ 19 (3)(5)/निमअ/बा.वि.रो./SOP/2021 /14174 जयपुर, दिनांक 12-4-2021

**विषयः– बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी) संबंधी दिशा निर्देश।**

बाल विवाह अनेक सामाजिक समस्याओं, स्वास्थ्यगत संकटों, विकासगत विसंगतियों का जनक है। इसके निषेध का अधिनियम बनने के बावजूद अनेक क्षेत्रों व समुदायों में ऐसी घटनाएँ परिलक्षित होती हैं, जिन पर प्रभावी नियन्त्रण की आवश्यकता है।

भारत सरकार द्वारा देश में बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (पीसीएमए 2006) लागू किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका एवं 21 वर्ष के कम उम्र के बालक का विवाह करना या रचाना एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध घोषित किया गया है। यह कानून सभी धर्मों को मानने वालों पर समान रूप से लागू होता है। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में बाल विवाह की रोकथाम हेतु राजस्थान बाल विवाह प्रतिषेध नियम 2007 लागू किये गये हैं। जिसके तहत अधिनियम की धारा 16 (1) के क्रम में अधिसूचना नवम्बर 2007 से समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं अधिसूचना सितम्बर 2013 से समस्त तहसीलदार गण को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (सी.एम.पी.ओ.) के रूप में नियुक्त किया गया है एवं उन्हें अधिनियम की धारा 4,5 एवं 13 के तहत शक्तियों एवं कृत्यों के निष्पादन के लिए अधिकृत किया गया है।

इसके अतिरिक्त, अधिसूचना दिनांक 15.02.2021 द्वारा निम्न अधिकारियों (सी.एम.पी.ओ.) अधिसूचित किया गया है।

1. उपनिदेशक, महिला अधिकारिता (जिला स्तर)।
2. उपनिदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं (जिला स्तर)।
3. सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता (जिला स्तर)।
4. सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल अधिकारिता विभाग (जिला स्तर)।
5. संरक्षण अधिकारी, महिला अधिकारिता (जिला स्तर)।
6. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं (परियोजना स्तर)।
7. सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (ब्लॉक स्तर)।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण अनुलग्नक **"अ"** पर संलग्न है।

1. **बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (सीएमपीओ) के कार्यः–** उपरोक्त सभी बाल विवाह निषेध अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्र में बाल विवाह के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगीः–

**1.1 अगर निकट भविष्य में कोई बाल विवाह होने वाला है :–**

1. सर्व प्रथम वैवाहिक पक्षकारों की आयु का पक्का साक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। आयु परीक्षण किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख) और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 94 के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।
2. दोनों पक्षों के अभिभावकों/रिश्तेदारों/समुदाय के लोगों को इस बात से अवगत कराया जाएगा कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है एवं इसे नहीं किया जाए।
3. लडके/लडकी से बात कर उन्हें बाल विवाह और उसके परिणामों से अवगत करायेगा तथा बच्चे को उसके बाल विवाह से संरक्षण के अधिकारों के बारे में अवगत कराया जाएगा।
4. ग्राम पंचायत स्थानीय नेताओं, शिक्षकों, सरकारी अधिकारियों/लोक सेवकों, स्थानीय एनजीओ की मदद लेकर बाल विवाह की रोकथाम सुनिश्चित की जाएगी।
5. पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर दोषियों को गिरफ्तार कराया जाएगा।
6. यदि बच्चे के अभिभावक बाल विवाह की योजना से पीछे नहीं हटते हैं, तो अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत बाल विवाह रोकने के लिए संबंधित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज कर निषेधाज्ञा जारी कराई जाएगी।
7. बच्चे के सुरक्षा एवं देखभाल के मामले में आवश्यकता पडने पर संबंधित बाल कल्याण समिति की मदद ली जाएगी।
8. ऐसे बच्चों के अभिभावकों से बाल विवाह नहीं करने का शपथ पत्र भरवाया जायेगा। इसका उल्लघंन होने पर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
9. महिला हेल्पलाईन सेवा 181, चाईल्ड लाईन सेवा (1098) एवं अन्य किसी माध्यम से बाल विवाह होने के संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायत की सूचना गोपनीय रखी जाए।

**1.2 जिस समय विवाह संपन्न हो रहा है :–**

1. सर्वप्रथम वैवाहिक पक्षकारों की आयु का पक्का साक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। आयु परीक्षण किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख) और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 94 के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।
2. इस बात की जानकारी तत्काल संबंधित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को दी जाएगी, जिससे वह बाल विवाह रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी कर सकें।
3. संपन्न हो रहे विवाह के बारे में साक्ष्य/सबूत (जैसे फोटोग्राफ्स, निमंत्रण पत्र, शादी के संबंध में किए गए भुगतानों की पर्ची) आदि इकट्ठे किये जाएँगे।

जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
Email_ gendercell.we@rajasthan.gov.in


4. दोषियों की सूची बनाई जायेगी, जिसमें वे लोग होंगे जो विवाह का जोड़ बिठाने, करवाने, समर्थन देने, सहायता या प्रोत्साहन देने के लिए जिम्मेदार हैं या ऐसी शादी में शामिल होते है।
5. संबंधित थाना अधिकारी को प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने के लिए निर्देशित किया जाएगा और दोषियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।
6. यदि बच्चे के साथ जबर्दस्ती की जा रही है या बच्चे के जीवन को खतरा दिखाई देता है तो तत्काल ऐसे बच्चे को सुरक्षा व सहायता प्रदान करने हेतु बच्चे को संबंधित बाल कल्याण समिति के सामने पेश कर उसकी सुरक्षा एवं आश्रय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

**1.3 अगर बाल विवाह हो चुका है:–**

1. सर्व प्रथम वैवाहिक पक्षकारों की आयु का पक्का साक्ष्य प्राप्त करेंगे। आयु परीक्षण किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख) और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 94 के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।
2. संपन्न विवाह के बारे में सबूत (जैसे फोटोग्राफ्स, निमंत्रण पत्र, शादी के संबंध में किए गए भुगतानों की पर्ची) आदि इकट्ठे किये जाएँगे।
3. दोषियों की सूची बनाई जाये, जिसमें वे लोग होंगे जो विवाह का जोड बिठाने, करवाने, समर्थन देने, सहायता या प्रोत्साहन देने के लिए जिम्मेदार हैं या ऐसी शादी में शामिल होते है।
4. संबंधित थाना अधिकारी को प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने के लिए निर्देशित करेंगे और दोषियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।
5. आवश्यकतानुसार पीडित बच्चे को 24 घंटों के भीतर संबंधित बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया जाएगा।
6. पीडित बच्चे के बयान दर्ज किये जाकर उसकी सुरक्षा एवं देखभाल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
7. पीडित बच्चे के बाल विवाह के शून्यकरण के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायालय (बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत विशेष न्यायालय घोषित) के माध्यम से तत्काल आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।
8. बच्चों को चिकित्सकीय सहायता, कानूनी सहायता, काउंसलिंग, गुजारा भत्ता, पुनर्वास आदि सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध करवाने में सहयोग किया जाएगा।
9. अगर बच्चा अपने मां–बाप के साथ ही है तो नियमित रूप से अनुवर्ती कार्यवाही (फौलोअप विजिट) तथा निरीक्षण किए जाएँ। बच्चे को उसके घर से अलग करना आखिरी विकल्प के रूप में बच्चे के हित में देखा जाएगा।

जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
Email_ gendercell.we@rajasthan.gov.in

10. यदि आवश्यक हो तो बच्चे को अनुवर्ती (फॉलोअप) सहायता उपलब्ध करवाने के लिए स्थानीय स्वयं सेवी संस्था की मदद ली जाएगी।
11. पीडित बच्चे के विरूद्ध हुए किसी भी दूसरे अपराध की जांच में भी मदद उपलब्ध करायी जाएगी।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी बाल विवाह की रोकथाम के संबंध में किये गये कार्यों की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट संबंधित जिला कलेक्टर (अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई) को भेजेंगे। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी द्वारा समय–समय पर विवाह पंजीयन कार्यालयों का निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण के दौरान यदि बाल विवाह होना या होने वाला पाया जाए, तो अधिनियम के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। (राजस्थान राज्य बाल विवाह निषेध नियम 2007 के भाग 4 व 5)

2. <u>महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यः–</u>

1. विभाग को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत नोडल विभाग बनाया गया है।
2. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में समस्त आवश्यक कार्यवाही, संबंधित संस्थाओं के साथ समन्वय कर एवं आवश्यक निगरानी की जाएगी।
3. बाल विवाह रोकथाम में सी.डी.पी.ओ, प्रचेता, आंगनबाडी कार्यकर्ता, आशा, साथिन, सहयोगिनी को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने एवं बाल विवाह की रोकथाम में वातावरण निर्माण हेतु निर्देशित किया जाएगा।
4. महिलाओं एवं बालिकाओं से संबंधित योजनाओं/कार्यक्रमों मुख्यतः सबला, किशोरी शक्ति योजना, राजश्री योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना आदि के बारे में व्यापक प्रचार–प्रसार कर उन्हें, इससे लाभान्वित किया जाएगा।
5. जिलों में कार्यरत महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्रों के माध्यम से भी बाल विवाह के शून्यकरण कराने हेतु बालिका को कांउसलिंग सेवा उपलब्ध करायी जाएगी।

3. <u>पुलिस विभाग के कार्यः–</u>

1. बाल विवाह होने के संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायत की सूचना तत्काल बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (सीएमपीओ) को दी जायेगी तथा बाल विवाह की घटना के बारे में सबूत इकट्ठे किये जाएंगे।
2. निकट भविष्य में बाल विवाह होने की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को दी जायेगी ताकि वह बाल विवाह को रोकने या निवारण करने की कार्यवाही कर सके।
3. बाल विवाह के पीडित बच्चों को आवश्यकता पडने पर तत्काल मुक्त कराया जाकर संबंधित बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।

जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
Email_ gendercell.we@rajasthan.gov.in


4. पीडित बालिका से बातचीत हेतु महिला पुलिस अधिकारी/महिला सामाजिक कार्यकर्ता/अध्यापिका/आंगनबाडी कार्यकर्ता/साथिन/एएनएम इत्यादि की मदद ली जाएगी।
5. स्थानीय पुलिस/बाल कल्याण अधिकारी बाल विवाह के प्रकरणों में बिना देरी के बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अतिरिक्त किशोर न्याय अधिनियम, 2015 लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाएगी। संबंधित आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा।
6. विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं मानव तस्करी विरोधी यूनिट द्वारा बच्चों के विरूद्ध अपराध जिनमें बाल विवाह एवं लडकियों की खरीद–फरोख्त, तस्करी मुख्य है, की रोकथाम के संबंध में कार्य–योजना तैयार कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
7. बाल विवाह की रोकथाम में सीएलसी समितियों की भी मदद ली जाएगी।

4. <u>पंचायत राज संस्थाएं (जिला परिषद/ग्राम पंचायत/पंचायत समिति) के कार्यः–</u>

1. बाल विवाह होने की सूचना मिलने पर पंचायत सदस्य द्वाराः–
   I. दोनों के अभिभावकों/रिश्तेदारों/ समुदाय से बातचीत कर बाल विवाह को रोकने की समझाईश की जाएगी।
   II. लडके/लडकी से बात कर उन्हें बाल विवाह से संरक्षण के अधिकार के बारे में अवगत कराया जाएगा।
   III. अधिनियम की धारा 16 (1) के तहत नियुक्त बाल विवाह निषेध अधिकारी को बाल विवाहों की रोकथाम करने में मदद की जाएगी।
   IV. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के किसी भी सदस्य की ओर से बाल विवाहों को प्रोत्साहन न दिया जाए।
2. गाँवों में इस अधिनियम एवं बाल विवाह के बारे में जागरूकता पैदा करने का कार्य किया जाएगा। ग्राम सभा की बैठको में नियमित रूप से इस विषय पर चर्चा की जाएगी।
3. सभी बच्चों, खासतौर से लडकियों का स्कूल में दाखिला एवं ठहराव सुनिश्चित किया जाएगा।
4. उपखण्ड स्तरीय एवं ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति को सक्रिय करते हुए बाल संरक्षण के मुद्दों मुख्यतः बाल विवाह, बाल तस्करी एवं बाल उत्पीडन पर जागरूकता एवं रोकथाम संबंधी कार्य किये जाएंगे।

# राजस्थान सरकार
## निदेशालय महिला अधिकारिता

जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
Email_ gendercell.we@rajasthan.gov.in


5. **शिक्षा विभाग (स्थानीय विद्यालय के माध्यम से) के कार्यः–**

1. जैसे ही विद्यालय प्रशासन को बाल विवाह हो रहा है, या बाल विवाह होने वाला है, की सूचना मिलती है, तो इसके बारे में तत्काल नजदीकी पुलिस थाने/बाल विवाह निषेध अधिकारी/चाईल्ड लाईन (1098)/ग्राम पंचायत को सूचित किया जाएगा।
2. विद्यालय में ऐसे बच्चों पर सीधी नजर रखें जो बाल विवाह का शिकार बन सकते है। स्कूल में ऐसे बच्चों की नियमित हाजिरी सुनिश्चित की जाएगी।
3. यदि किसी बच्चे की गैरहाजिरी संदेहास्पद लगती है तो तत्काल उस बच्चे के घर जाकर उससे मिलने एवं गैरहाजिरी के संबंध में पूछताछ की जाएगी।
4. शाला प्रबंधन समिति एवं अभिभावकों के साथ नियमित बैठक लेकर उन्हें बाल विवाह के दुष्परिणाम एवं बाल विवाह नहीं करने संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी। सामान्यतः कम शिक्षा में ही ड्राप–ऑउट बाल–विवाह की सम्भावना बढ़ाता है, अतः बालक या बालिका, जो बारहवीं से पूर्व स्कूली शिक्षा से बाहर हो रहे हैं, उनकी निगरानी की जाए और विद्यालय से जोडने के प्रयास किए जाएंगे।
5. विद्यालयों में बच्चों को बाल विवाह एवं उनके अधिकारों के बारे में अवगत कराया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय में चाईल्ड लाईन (1098)/अंकित किया जाएगा, ताकि बच्चे इस पर अपनी शिकायतें भेज सकें।

6. **बाल कल्याण समिति के कार्यः–**

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों जिनमें बाल विवाह के पीडित बच्चे भी सम्मिलित है के संरक्षण, देखभाल, पुर्नवास एवं मामलों के निपटान के लिए अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्राप्त बाल संरक्षण समितियां कार्यरत हैं।

बाल कल्याण समितिः–

1. बाल विवाह होने की सूचना/शिकायत मिलने पर समिति तत्काल प्रसंज्ञान लेते हुए विवाह को रूकवाने हेतु बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ)/स्थानीय पुलिस को आदेशित करेगी।
2. बाल विवाह में लिप्त दोषियों के विरूद्ध पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु निर्देशित करेगी।
3. बाल विवाह के पीडित बच्चों को मुक्त कराने संबंधी कार्यवाही के दौरान चाईल्ड लाईन सेवा (1098) एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी उपस्थित रहने तथा आवश्यकतानुसार सहयोग करने हेतु निर्देशित किया जाएगी।
4. पीडित बच्चे के बयान दर्ज किये जाकर उसकी सुरक्षा एवं देखभाल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
Email_gendercell.we@rajasthan.gov.in


5. पीडित नाबालिग बच्चे के बाल विवाह के शून्यकरण के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायालय (बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत विशेष न्यायालय घोषित) के माध्यम से तत्काल आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।
6. बच्चों को चिकित्सकीय सहायता, काउंसलिंग, मुआवजा, गुजारा भत्ता, पुनर्वास आदि सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।
7. यदि बालिका, बाल विवाह से जन्मे हुए नवजात शिशुओं को पालने में असक्षम है या अपने भविष्य के कारण शिशु को समर्पित करना चाहती हो तो इसकी प्रक्रिया से अवगत कराया जाएगा।
8. समिति के सक्षम आने वाली बाल विवाह की पीडित बालिकाओं को आवश्यकतानुसार निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।
9. समिति ऐसे बालक–बालिकाओं के परिवारजनों को आवश्यक परामर्श उपलब्ध करा कर बच्चों के भविष्य के संबंध में बेहतर निर्णय लेने में सहयोग करेगी।

**<u>7. जिला बाल संरक्षण इकाई (बाल अधिकारिता विभाग):–</u>**

1. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
2. बाल विवाह के रोकथाम के संबंध में किये गये कार्यों की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करने में ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति एवं ग्राम पंचायत बाल संरक्षण समिति बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का सहयोग करेगी।
3. इकाई जिला कार्य योजना के क्रियान्वयन के तहत बाल विवाह के बारे में आवश्यक जन जागरूकता हेतु सतत् अभियान चलाया जाएगा।
4. अभियान सचालन में आवश्यकतानुसार स्वयं सेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा सकेगा।
5. पीडित बच्चों को आवश्यकतानुसार विधिक सहायता, आश्रय एवं संरक्षण की व्यवस्था की जाएगी।
6. बाल विवाह के संभावित/पीडित बच्चों के परिवारों की आर्थिक/सामाजिक स्थिति खराब होने पर उनको प्राथमिकता से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं/ कार्यक्रमों से जोडा जाएगा।
7. जनसमुदाय में राज्य सरकार की विवाह संबंधी योजनाओं के बारे में भी जागरूकता पैदा की जायेगी ताकि बाल विवाह जैसी परम्पराओं पर रोक लग सके।

जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
Email_ gendercell.we@rajasthan.gov.in

**8. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के कार्यः–**

1 बालक–बालिकाओं के कम उम्र में विवाह के फलस्वरूप उनके स्वास्थ्य पर पडने वाले विपरीत प्रभावों के बारे में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप केन्द्रों पर कार्यरत चिकित्सको एवं पैरामेडिकल स्टाफ के माध्यम से आमजन को अवगत करवाया जाएगा। इसके लिए महिला एवं बाल विकास के समन्वय से समुचित IEC सामग्री तैयार की जाएगी।

2 बाल विवाहों के प्रकरण में बालक– बालिकाओं का उम्र निर्धारण किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख) और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 94 के प्रावधानों के अनुरूप बाल कल्याण समिति के निर्देशानुसार किया जाएगा।

**9. जिला प्रशासनः–**

1. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में समस्त आवश्यक कार्यवाही एवं निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।
2. जिला एवं प्रत्येक उपखण्ड स्तर पर बाल विवाह रोकथाम हेतु कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा।
3. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा वृहद् स्तर पर होने वाले बाल विवाहों के मामलों में तत्काल बाल विवाह आयोजन रोकने या निवारण करने की कार्यवाही की जाएगी।
4. बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा।
5. बाल विवाह की रोकथाम हेतु समस्त प्रशासनिक एवं राजकीय संस्थाओं में कार्यरत व्यक्तियों को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किए जाएंगे।
6. बाल विवाह के संबंध में चाईल्ड लाईन (1098) का उपयोग लिया जाएगा। इस हेतु आवश्यक जागरूकता पैदा की जाएगी।
7. बाल विवाह रोकथाम के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी सभी दिशा–निर्देशों की सख्ती से पालना की जाएगी।
8. बाल विवाह मुक्त गांवों के निर्माण एवं बाल विवाह की रोकथाम में सक्रिय भागीदारी निभाने वाली ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
9. विवाहों के पंजीकरण संबंधी कार्यों को बढावा दिया जाकर इनका पंजीयन सुनिश्चित किया जाएगा।
10. बाल विवाह की रोकथाम में विफल रहने वाले अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।
11. बाल विवाह की रोकथाम से संबंध में किए गए कार्यों की एकजाई त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट निदेशालय बाल अधिकारिता एवं निदेशक महिला अधिकारिता को दी जाएगी।

# राजस्थान सरकार
# निदेशालय महिला अधिकारिता
जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
Email_ gendercell.we@rajasthan.gov.in


12. बाल विवाह रोकथाम के संबंध में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भी विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जाती है। अतः विधिक सेवा प्राधिकरण के राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तरीय प्रभारी से सम्पर्क कर उनसे मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त किया जाएगा।

राज्य में सभी संबंधितों के द्वारा बाल विवाह के संबंध में उपर्युक्तानुसार ही कार्यवाही की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट एवं सभी बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी इसके लिए उत्तरदायी एवं जवाबदेह होंगे। इसे प्राथमिकता से लागू किया जाएगा।

(के. के. पाठक)
**शासन सचिव**
**महिला एवं बाल विकास विभाग**

**क्रमांक :– एफ 19 (3)(5)/निमअ/बा.वि.रो./SOP/2021/**14175-826 **जयपुर, दिनांक** 12-4-2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदया, मबावि, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान पुलिस, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, श्रम, कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार।
8. निजी सचिव, सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान सरकार।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, गृह विभाग राजस्थान सरकार।
11. निजी सचिव, आयुक्त, महिला अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार।
12. निजी सहायक, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाऐं, जयपुर।
13. निजी सहायक, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
14. निजी सहायक, आयुक्त, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
15. सचिव, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2 जलपथ, गॉधीनगर, जयपुर।
16. निजी सचिव, सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
17. समस्त जिला कलक्टर............।
18. समस्त पुलिस अधीक्षक............।
19. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद...................।
20. समस्त उप निदेशक/बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाऐं......।
21. समस्त उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता............।

# राजस्थान सरकार
# निदेशालय महिला अधिकारिता

जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
Email_ gendercell.we@rajasthan.gov.in

22. समस्त सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल अधिकारिता विभाग..................... ।
23. समस्त सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग(ब्लॉक स्तर).....
24. समस्त संरक्षण अधिकारी, महिला अधिकारिता............................................................... ।
25. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त
महिला अधिकारिता

# राजस्थान सरकार
## निदेशालय महिला अधिकारिता
जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
Email_ gendercell.we@rajasthan.gov.in


अनुलग्नक "अ"

### बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण

पीसीएमए 2006, के अन्तर्गत बाल विवाह के निषेध हेतु मुख्यतः निम्नलिखित को चिन्हित किया गया हैः–

1. बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी–उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार
2. जिला मजिस्ट्रेट
3. प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट
4. पुलिस
5. पारिवारिक अदालतें

**बाल विवाह की सूचना :–**

बाल विवाह के पहले या बाद में कोई भी व्यक्ति इस घटना की रिपोर्ट/सूचना दे सकता है। इस तरह की घटना के बारे में निम्नलिखित अधिकारियों के पास तत्काल रिपोर्ट/सूचना दी जा सकती है :–

- पुलिस
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी
- प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट
- कियोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत गठित बाल कल्याण समिति या उसके सदस्य।
- चाइल्ड लाइन
- जिला मजिस्ट्रेट ( वृहद् पहमाने पर होने वाले विवाहों के मामले में जिला मजिस्ट्रेट को बाल विवाह निषेध अधिकारी के अधिकार भी दिए गए है। इसलिए उसके पास ऐसे बाल विवाहों को रोकने का पूरा अधिकार है।

**बाल विवाह –एक अपराध :–**

- प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है एवं इनके द्वारा निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। (धारा 13 (1) पीसीएमए–2006)
- इस अधिनियम के तहत उल्लेखित अपराध संज्ञेय और गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आते है। (धारा 15, पीसीएमए–2006)

**किन लोगों को सजा दी जा सकती है :–**

- ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह कराता है या उसको बढावा देता है या उसमें सहायता देता है (धारा 10, पीसीएमए 2006)
- नाबालिग लडकी से शादी करने वाला 18 साल से अधिक उम्र का पुरूष (धारा 9–पीसीएमए 2006)
- बाल विवाह संम्पन्न करवाने वाले लडके और लडकी के अभिभावक/माता–पिता
- बाल विवाह में भाग लेने वाले दोनों तरफ के रिश्तेदार/परिचित
- समुदाय के ऐसे मुखिया जो इस तरह के विवाहों को संरक्षण देते है।

जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
Email_ gendercell.we@rajasthan.gov.in


- बाल विवाह करवाने वाले मैरिज ब्यूरों/शादियां कराने वाले बिचौलिये
- मानव व्यापारी
- केटर्स तथा अन्य सेवा प्रदाता।
- ऐसे संगठन या समूह के सदस्य जो सब कुछ जानते हुए भी बाल विवाह को प्रोत्साहित करते है, स्वीकृति देते है, या उनमें हिस्सा लेते है, और उसे रोकने में विफल है। (धारा 11 पीसीएमए 2006)

**बाल विवाह शून्यकरण :–**

- बाल विवाह को अकृत और शून्य घोषित कराया जा सकता है। (धारा 3(1), पीसीएमए 2006)
- जिस बच्चे का बाल विवाह किया गया है वह बालिग होने के दो साल बाद तक अपने विवाह को अकृत और शून्य घोषित करवाने की मांग कर सकता/सकती है।
(धारा 3 (3), पीसीएमए 2006)
- बाल विवाह को अकृत और शून्य घोषित करवाने के लिए संबंधित लडका या लडकी ही आवेदन कर सकते है। यदि आवेदक पीसीएमए के अनुसार नाबालिग है तो उसकी ओर से बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ) के समक्ष उसके अभिभावक या उसके किसी दोस्त/परिचित की ओर से भी याचिका दायर की जा सकती है।
(धारा 3 (2), पीसीएमए 2006)
- पारिवारिक न्यायालय अधिनियम के अधीन स्थापित पारिवारिक न्यायालय, प्रधान सिविल न्यायालय एवं सीटी सिविल न्यायालय बाल विवाह को अकृत और शून्य घोषित कर सकता है। (धारा 3 एवं 2 (ई), पीसीएमए 2006)

**कुछ खास परिस्थितिया जिनमें बाल विवाह प्रारम्भ से ही अकृत और शून्य है निम्नानुसार है:–**

- जहां बच्चे को फुसला कर जबरन या धोखे से उसके वैधानिक अभिभावको से दूर कर दिया गया हो। (धारा 12(ए) एवं (बी) पीसीएमए 2006)
- जब बच्चे को विवाह के लिए या विवाह के जरिए बेचा या खरीदा गया हो। (धारा 12(सी) पीसीएमए 2006)
- जहां बाल विवाह को रोकने के लिए पीसीएमए 2006 धारा 13 के अन्तर्गत जारी किये गये अन्तरिम या अंतिम व्यादेश के बावजूद बाल विवाह सम्पन्न करवाया गया हो तो उक्त विवाह प्रारम्भ से शून्य होगा। (धारा 14 ,पीसीएमए 2006)